बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः— 08 / अ0प्र0—07—03 / 2025 5298 पटना, दिनांक 16.5.25

प्रेषक,

प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल',
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग।
सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग।

विषयः— ग्रामीण कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन लेखा लिपिक संवर्ग के कर्मियों को सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना सं0—19300, दिनांक—13.10.2023 के आलोक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चत्तर पद का प्रभार देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लेखा लिपिक संवर्ग के कनीय लेखा लिपिक कर्मियों को सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना सं0—19300, दिनांक—13.10.2023 के आलोक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चत्तर पद का प्रभार देने के मामले पर विचार किया जा रहा है।

इस हेतु विगत पाँच वर्षों 2020—2021, 2021—2022, 2022—2023, 2023—2024, 2024—2025 का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (चारित्री) की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि आपके कार्यालय में पदस्थापित कनीय लेखा लिपिक कर्मियों का उपरोक्त 5 वर्षों का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (चारित्री) 3 दिनों के अन्दर भेजना सुनिश्चित किया जाय। चूँकि मामला न्यायालय से अच्छादित है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

प्रभाष
16.05.2025
(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः—08 / अ0प्र0—07—03 / 2025 5298 पटना, दिनांक 16.5.25

प्रतिलिपिः—सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभाष
16.05.2025
सरकार के अवर सचिव
Rina

Rina, letter